तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्ड पीठ **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य** उपस्थित– श्री अशोकनाथ योगी, अभिभाषक अपीलांट श्री पंकज गुप्ता, श्री जुगराज सैनी, अभि0रेस्पोडेन्ट **दिनांक :** 21–7–2022 **निर्णय** यह द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 1–3–2021 के विरूद्ध धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत की गई है। उभय पक्ष की बहस राजीनामा पर सुनी गई। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट्स ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सपठित धारा 151 जा.दी. दिनांक 8–7–2022 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सदापुरा तहसील गंगरार में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 62 से 77 कुल किता 16 रकबा 4.00 हैक्टर भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। जिसमें काना, पोखर, चूना, रामनारायण और नारू पिता उदा का 1/2 हिस्सा एवं नन्दा पुत्र मोडा का 1/2 हिस्सा है तथा राजस्व रिकार्ड में भी उक्तानुसार ही अंकन मौजूदा चला आ रहा है। सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से में से 1/5 हिस्सा अर्थात् कुल 1/10वें हिस्से के खातेदार नारू के देहान्त होने पर उसका उक्त 1/10वां हिस्सा नामांतरकरण संख्या 42 दिनांक 19–6–1992 के द्वारा विरासत के आधार पर काना, पोखर, चूना व रामानारायण के नाम दर्ज कर दिये जाने को चुनौती देते हुए	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्यारचन्द ने परीक्षण न्यायालय में एक दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि नारू जी ने उसके पक्ष में दिनांक 3–8–1980 को रजिस्टर्ड गोदनामा के द्वारा गोद लिया था इसलिए नारू के 1/10वें हिस्से का उसे खातेदार घोषित करने का निवेदन किया। चूंकि प्यारचन्द के द्वारा वर्णित कथनों का किसी के भी विरोध नहीं करने के कारण परीक्षण न्यायालय ने वाद को दिनांक 9–11–2012 के द्वारा डिक्री करते हुए वादी को 1/10वें हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया। परन्तु तहसीलदार के द्वारा उक्त स्थिति को ध्यान में नहीं रखते हुए रिकार्ड गलत निर्मित कर दिया गया। चूंकि प्रकरण के सभी पक्षकारान एक ही कुटुम्ब परिवार के हैं तथा उनके मध्य कभी भी वादग्रस्त भूमि को लेकर कोई विवाद नहीं रहा है इसलिए सभी एक राय होकर न्यायालय के समक्ष यह निवेदन एवं राजीनामा प्रस्तुत कर रहे हैं कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 62 से 77 कुल किता 16 रकबा 4.00 हैक्टर में निम्नानुसार पक्षकारान का हक एवं कब्जा है इसलिए इसी अनुसार उनके खाते में अंकन कर उक्तानुसार विभाजन कर दिया जाये– (1) नन्दा का सम्पूर्ण भूमि में विशेष चूंकि 1/10वें हिस्से का खातेदार पोखर फौत हो गया है और उसने अपने जीवनकाल में भगवानलाल पुत्र चूना को गोद ले रखा था का 1/2 हिस्सा उसके पुत्र प्रभुलाल के खाते में दर्ज किया जाय एवं शेष 1/2 हिस्सा निम्नानुसार दर्ज किया जावे– (i) नारू का 1/10 हिस्सा प्यारचन्द के नाम दर्ज किया जावे। (ii) काना का 1/10वां हिस्सा मौजूदा रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 लगायत 5 के हिस्से में दर्ज की जावे। (iii) रामनारायण का 1/10वां हिस्सा मौजूदा रेस्पोडेन्ट संख्या 6 रामनारायण के हिस्से में दर्ज किया जावे। (iv) चूना का 1/10वां हिस्सा मौजूदा रेस्पोडेन्ट्स संख्या 8 व 10 के हिस्से में दर्ज की जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	(v) पोखर का 1 / 10वां हिस्सा उसके गोद पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 7 भगवानलाल के हिस्से में दर्ज की जावे। पक्षकारान ने उक्त राजीनामा अपनी स्वेच्छा से पूर्ण होशोवास में किया है और उनके बाद उनके वारिसान सदैव इससे पाबन्द रहेंगे। अतः प्रार्थना पत्र राजीनामा स्वीकार किया जाकर उपरोक्त वर्णितानुसार सभी को वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित कर उक्तानुसार ही विभाजन किए जाने का आदेश प्रदान करावें। हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामा में पक्षकारान की पहचान उनके अभिभाषकगण द्वारा की गई एवं उक्त राजीनामा को अतिरिक्त निबन्धक (न्याय) राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा दिनांक 8–7–2022 को तस्दीक किया गया है। बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने अपने अपील मीमों में यह अंकित किया है कि वादी / रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत वाद के सम्मन प्राप्त होने पर अपीलांट के पिता नन्दा जी ने अपनी ओर से पैरवी करने हेतु श्री नारायण लाल जोशी को अभिभाषक नियुक्त किया परन्तु अभिभाषक श्री नारायण लाल जोशी ने अपने विधिक दायित्व के तहत अपने मुव्वकिल की पैरवी करने के बजाय बिना अपीलांट के पिता को सूचित किये हिदायत पैरवी नहीं करना जाहिर कर दिया, तो ऐसी सूरत में न्यायालय का विधिक दायित्व था कि वह अपीलांट के पिता को नोटिस देते परन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलांट के पिता को नोटिस देने के बजाय उनकी पीठ पीछे कार्यवाही करते हुए वाद को बिना परीक्षण किये अपने निर्णय दिनांक 9–11–2012 के द्वारा स्वीकार कर लिया और उसी क्रम में एकतरफा में निर्मित त्रुटिपूर्ण विभाजन प्रस्ताव के अनुरूप बिना न्यायिक मस्तिष्क का इस्तेमाल किए अंतिम डिक्री जारी कर दी।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उपरोक्त समस्त कार्यवाही एवं पारित निर्णय व डिक्री अविधिक थी जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने निरस्त करने के बजाय निर्णय एवं डिक्री जेर अपील के द्वारा यथावत रखने में घोर विधिक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालयों ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअंदाज कर दिया कि विभाजन के वाद में प्रतिवादी की गैर मौजूदगी में अगर प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जाती है तो भी तहसीलदार का विधिक दायित्व था कि वह विभाजन प्रस्ताव निर्मित करते समय वाद के समस्त पक्षकारान को मौके पर विभाजन प्रस्ताव बाबत नोटिस देते और उक्त उपरांत विचारण न्यायालय का भी विधिक दायित्व था कि वह प्रकरण में अंतिम डिक्री के लिए प्रोसिड करने से पूर्व सभी पक्षकारान को नोटिस देते परन्तु ना तो तहसीलदार ने ना ही विचारण न्यायालय ने अपीलांट को कोई नोटिस दिया और उसकी गैर मौजूदगी में अंतिम डिक्री पारित कर दी। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति को नजदअंदाज कर अपील को मयाद बाहर मानकर खारिज करने की घोर त्रुटि की है। अंत में अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। चूंकि पक्षकारान के मध्य लिखित में राजीनामा हो गया है एवं उभय पक्षकारान उक्त राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते हैं। अतः यह अपील मुताबिक राजीनामा स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 1–3–2021 एवं उपखण्ड अधिकारी गंगरार द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 1–10–2014 द्वितीय अपील में वर्णित विधिक आधारों के आधार पर निरस्त किये जाते हैं तथा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के कॉलम संख्या (1), (i) लगायत (v) में वर्णितानुसार पक्षकारान	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उक्तानुसार विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)** **सदस्य** **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	